मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 9 फरवरी, 2000 (माघ 20, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार –
(क) वित्त लेखे वर्ष 1998–99, तथा
(ख) विनियोग लेखे वर्ष 1998–99
पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का इकतालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997–98 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री अजय सिंह, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989–90 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बाबूलाल गौर, नरेन्द्र बिरथरे, मुन्ना सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के ब्यावरा क्षेत्र में छात्रों को धर्मान्तरण हेतु प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह गौड़, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, छत्तीसगढ़ अंचल के अनेक जिलों में मलेरिया का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का छठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छठवें प्रतिवेदन से सहमत है".

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 2000 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा ....(क्रमशः)

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं".

भोपाल :
दिनांक : 8 फरवरी, 2000

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.